भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 86

उत्तर देने की तारीख 25 नवंबर, 2024

सोमवार, 4 अग्रहायण 1946 (शक)

विशेष कौशल एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव

86. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कौशल शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए ओबीसी एवं एससी युवाओं की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार देश भर में तथा विशेष रूप से मध्य प्रदेश में उनके लिए विशेष कौशल एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम चला रही है अथवा शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कौशल परियोजनाएं उनके प्लेसमेंट या रोजगार से भी जुड़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों को और मध्य प्रदेश राज्य में कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस करके भविष्य के लिए तैयार करना है। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनर्कौशल विकास के लिए है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष की आयु के निरक्षर, नव-साक्षर और प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों तथा वीं कक्षा तक स्कू12ली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, जिसमें दिव्यांगजनों और अन्य योग्य मामलों में उचित आयु में छूट दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी कम आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस): यह स्कीम शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रशिक्षुओं को वृत्तिका के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर कार्यरत प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस): यह स्कीम देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई(के माध्यम से दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई कई तरह के व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करना और युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करना है।

कौशल विकास के लिए उपर्युक्त स्कीमों के अतिरिक्त, एमएसडीई मध्य प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से उद्यमशीलता विकास के लिए कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रहा है।

(ख से घ) एमएसडीई की स्कीमों में से, नियोजन को विशेष रूप से केवल पीएमकेवीवाई के पहले तीन संस्करणों अर्थात पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में ट्रैक किया गया था, जिसे वित्त-वर्ष 2015-16 से वित्त-वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित किया गया था। दिनांक 31.10.2024 तक पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत कुल मिलाकर 1,35,991 अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को रोजगार मिली है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विभिन्न करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख किया गया था। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी यह अवसर प्रदान करते हैं।

*****